संख्या:129/2026/759/35-4-2026/35-4002(003)/49/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 24 अप्रैल, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की **रू. 502.22 लाख** (रूपये पांच करोड़ दो लाख बाईस हजार मात्र जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में **रू. 250.00 लाख** (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि जिलाधिकारी के निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग कार्यदायी संस्था है:-

(लाख रू. में)

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
1	कोहंडौर नगर पंचायत में कोहंडौर चंद्रौका मार्ग से जगतपाल रंगनाथ द्विवेदी इण्टर कालेज तक इण्टर लाकिंग कार्य। वि0ख0 सदर	150	7.8	4.00
2	नगर पंचायत कोडंडौर के कोडंडौर वार्ड में डा0 दिनेश सिंह के घर से मिश्रान का पुरवा तक इण्टर लाकिंग कार्य। वि0ख0 मंगरौरा	170	9.53	5.00
3	नगर पालिका प्रतापगढ़ में पूरे ईश्वरनाथ वार्ड में ओम प्रकाश सिंह के घर से राम सुमेर सरोज के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य। वि0ख0 सदर	100	5.23	3.00
4	नगर पंचायत लालगंज के गौतमपुर वार्ड में दीवानी रोड से धीरेन्द्र सिंह के प्लाट तक इण्टर लाकिंग कार्य। वि0ख0 लालगंज	107	6.72	3.00
5	नगर पंचायत लालगंज में वाराणसी लखनऊ राजमार्ग से सुज्जू गुप्ता के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य। वि0ख0 लालगंज	125	7.82	4.00
6	नगर पंचायत लालगंज के अर्न्तगत पूरे हरिकिशुन वार्ड में हरिहर शुक्ला के घर से शिव प्रसाद तिवारी के प्लाट तक इण्टर लाकिंग कार्य। वि0ख0 लालगंज	125	7.82	4.00
7	नगर पालिका प्रतापगढ़ के अर्न्तगत चकबनतोड़ में प्रभात कुमार तिवारी के घर से लक्ष्मी कान्त द्विवेदी के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य। वि0ख0 सदर	60	5.83	3.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
8	नगर पालिका प्रतापगढ़ में कादीपुर वार्ड के अन्र्तगत पाल चौराहा से अरूण दूबे के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य। वि0ख0 सदर	150	8.33	4.00
9	नगर पालिका प्रतापगढ़ के वार्ड कादीपुर के अन्र्तगत हकीम का पुरवा पक्की सड़क से कौशलेन्द्र त्रिपाठी के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य। वि0ख0 सदर	170	10.76	5.00
10	औरानगर पंचायत मानधाता में वार्ड बासूपुर के अन्र्तगत नहर की पुलिया से सूर्य प्रकाश शुक्ला के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य। वि0ख0 मान्धाता	125	6.5	3.00
11	नगर पंचायत मानधाता के बासूपुर वार्ड के अन्र्तगत मुख्य पक्की सड़क से अशोक कुमार द्विवेदी के घर होते हुए शिव कुमार द्विवेदी के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य। वि0ख0 मान्धाता	125	6.5	3.00
12	नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह के अन्र्तगत श्री विजय बहादुर सिंह सरैया बगियापुर के घर से राज नरायण मिश्र के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य। वि0ख0 मान्धाता	150	7.8	4.00
13	नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह के छतौना वार्ड में श्री पंचमलाल हरिजन के घर से श्री सिद्व नरायण पाण्डेय के घर से इण्टर लाकिंग कार्य। वि0ख0 मान्धाता	150	7.8	4.00
14	ग्राम गंगेहटी में जगदीश सिंह के घर से उदय सिंह के घर तक इण्टर ला0 कार्य। वि0ख0 मंगरौरा	50	3.3	2.00
15	ग्राम खूझीकला में इण्टर लाकिंग से कैलाश सिंह के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य। वि0ख0 बाबा बेलखर नाथ धाम	50	2.83	1.00
16	ग्राम खूझीकला में सी0सी0 रोड से पृथ्वी नरायण सिंह के घर तक इण्टर ला0कार्य। वि0ख0 बाबा बेलखर नाथ धाम	75	3.87	2.00
17	रानीगंज पट्टी मार्ग से पं0 राजपत महाविद्यालय परमीपट्टी तक इण्टर ला0कार्य वि0ख0 बाबा बेलखर नाथ धाम	250	12.28	6.00
18	बाबा बेलखरनाथ धाम में गजरिया उड़ैयाडीह मार्ग से कान्ती सिंह के घर होते हुए राजेश सिंह के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य। वि0ख0 बाबा बेलखर नाथ धाम	100	5.09	3.00
19	वि0ख0 लक्ष्मणपुर में साहबगंज गौरा डांड मार्ग से बाबू सन्त बक्स डिग्री कालेज होते हुए संडवा सोमवंशियान तक इण्टर लाकिंग कार्य, वि0ख0 लक्ष्मणपुर	700	33.87	17.00
20	ग्राम अन्तपुर में विश्वनाथगंज मानधाता पक्की सड़क से एस0एस0 एकेडमी तक इण्टर लाकिंग कार्य। वि0ख0 मानधाता	200	12.27	6.00
21	सराय राजा में देल्हूपुर खरवई पक्की सड़क से राजेश सिंह के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य। वि0ख0 मानधाता	300	18.19	9.00
22	बोझी नहर मानधाता से हरीश कुटी धाम तक इण्टर लाकिंग कार्य। वि0ख0 मानधाता	300	18.31	9.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
23	नगर पालिका प्रतापगढ़ के वार्ड सं0 09 दहिलामऊ उत्तरी अन्र्तगत शिवकुमार के घर से दिलीप शुक्ला के घर तक वि0ख0 सदर	150	10.77	5.00
24	लक्ष्मणपुर के अजगरा ग्राम पंचायत में पूरे नेवाली शुक्ल में इण्टर लाकिंग से संजीत कुमार शुक्ला के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य। वि0ख0 लक्ष्मणपुर	100	5.58	3.00
25	सांगीपुर के ग्राम अठेहा में नहर माइनर से भारती शिशु शिक्षा संस्थान अठेहा तक इण्टर लाकिंग कार्य। वि0ख0 सांगीपुर	130	6.89	3.00
26	सांगीपुर के ग्राम नसीरपुर में नसीरपुर कोठिया मार्ग से इण्डियन इण्टर कालेज नसीरपुर तक इण्टर लाकिंग कार्य। वि0ख0 सांगीपुर	125	4.55	2.00
27	वि0ख0 लालगंज के हर्षपुर में जमुना प्रसाद मिश्र के घर से ग्राम सभा के मुख्य मार्ग तक इण्टर लाकिंग कार्य। वि0ख0 लालगंज	125	5.29	3.00
28	सांगीपुर के ग्राम मुस्तफाबाद (पटेल नगर) में मुस्तफाबाद राहाटीकर सम्पर्क मार्ग से जगन्नाथ पटेल उ0मा0 विद्यालय तक इण्टर लाकिंग कार्य। वि0ख0 सांगीपुर	100	6.16	3.00
29	वि0ख0 संग्रामगढ़ के प्राथमिक विद्यालय अलीपुर से वांकबीर बाबा के स्थान तक इण्टर लाकिंग कार्य। वि0ख0 रामपुर संग्रामगढ़	180	11.72	6.00
30	वि0ख0 लक्ष्मणपुर पूरनपुर खजूर में दूधनाथ मन्दिर मार्ग से सुमित श्रीवास्तव के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य। वि0ख0 लक्ष्मणपुर	125	6.1	3.00
31	वि0ख0 लक्ष्मणपुर में बलीपुर समशेरगंज मार्ग से एस0पी0एम0 इण्टर कालेज बलीपुर गेट तक इण्टर लाकिंग कार्य। वि0ख0 लक्ष्मणपुर	70	3.43	2.00
32	वि0ख0 सदर की ग्राम सभा बढ़नी में पक्की सड़क से राजदेव सिंह के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य। वि0ख0 सदर	150	8	4.00
33	वि0ख0 सदर में बढ़नी ग्राम सभा में लखनऊ वाराणसी राजमार्ग से संजय शुक्ला के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य वि0ख0 सदर	150	9.58	5.00
34	वि0ख0 सांगीपुर में बड़उवा से ननौती तक इण्टर लाकिंग कार्य वि0ख0 सांगीपुर	100	5.33	3.00
35	नगर पंचायत लालगंज में मदन वर्मा के घर से कल्लू सरोज के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य वि0ख0 लालगंज	170	8.81	4.00
36	पट्टी रानीगंज मार्ग ग्राम बहेलिया से हरिमंगल यादव के धर तक इण्टर लाकिंग कार्य। वि0ख0 लालगंज	150	8.48	4.00
37	वि0ख0 मानधाता में शारदा सहायक खण्ड 48 नहर से राज कुमार यादव के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य वि0ख0 मानधाता	300	15.33	8.00
38	बाबा बेलखरनाथ धाम में ग्राम पंचायत भदेवरा में विशाल सिंह के घर से इण्टर लाकिंग सम्पर्क मार्ग तक इण्टर लाकिंग कार्य। वि0ख0 बाबा बेलखर नाथ धाम	500	27.19	14.00
39	रामपुर संग्रामगढ़ वि0ख0 में नरई चौराहा से हीरागंज मार्ग होते हुए	500	32.25	16.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
	संग्रामताला गोदाही तक इण्टर लाकिंग कार्य। वि0ख0 रामपुर संग्रामगढ़			
40	वि0ख0 लक्ष्मणपुर में अशोक सिंह के घर से मा0 रामपति उ0मा0 विद्यालय हरिहरपुर कैलहा तक इण्टर लाकिंग कार्य। वि0ख0 लक्ष्मणपुर	500	26.63	13.00
41	वि0ख0 लक्ष्मणपुर में ग्राम ईटौरी के पुल से पूरे जीवन तक इण्टर लाकिंग कार्य वि0ख0 लक्ष्मणपुर	900	48.77	24.00
42	वि0ख0 शिवगढ़ में केवरा खुर्द पक्की सड़क से शिव मंदिर होते हुए प्रेम दूबे के घर तक इण्टर लाकिंग निर्माण कार्य वि0ख0 शिवगढ	500	42.91	21.00
	योग:	**8757**	**502.22**	**250.00**

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा। योजनान्तर्गत कंटीजेंसी अनुमन्य नहीं है।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0- 10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
7. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

9. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

10. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

11. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

12. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

13. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।

15. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

16. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।

17. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

18. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

19. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

20. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

21. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2027 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2027 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2027 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

22. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2027 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

23. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

24. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

25. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।

26. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

27. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

28. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

29. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

30. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

31. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

32. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या: 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त कार्यों पर होने वाले व्यय **रू. 2,50,00,000/-** (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) को वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-040 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054043370301-**ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था**-24-वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या:129/2026/759(1)/35-4-2026/35-4002(003)/49/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रतापगढ़।
3-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, प्रयागराज मंडल ।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रतापगढ़।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, प्रतापगढ़।
14- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रतापगढ़।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।